I/37824/2022

E-Mail
Urgent

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

प्रेषक,

जय सिंह,भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता–सह– बन्दोबस्त पदाधिकारी,
पटना / भोजपुर(आरा) / वैशाली / भागलपुर / सारण / सिवान / गया /
दरभंगा / समस्तीपुर / रोहतास / मुजफ्फरपुर / पूर्वीचम्पारण(मोतीहारी) / नवादा /
कैमूर (भभूआ) / औरंगाबाद / गोपालगंज / मधुबनी / बक्सर

बन्दोबस्त पदाधिकारी,
मुंगेर / शेखपुरा / लखीसराय / बेगूसराय / सुपौल / किशनगंज / नालन्दा / जमुई /
सीतामढ़ी / खगड़िया / सहरसा / मधेपुरा / पूर्णियाँ / अररिया / कटिहार / अरवल /
पश्चिम चम्पारण (बेतिया) / जहानाबाद / बाँका / शिवहर

राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान,
बोधगया / शास्त्रीनगर, पटना।

पटना, दिनांक :–

विषय :– आय–व्यय विवरणी के साथ विहित प्रपत्र में अधियाचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के सम्बन्ध में कहना है कि निदेशालय के नियंत्रणाधीन विभिन्न बन्दोबस्त कार्यालयों से मुख्य शीर्ष– 2029–भू–राजस्व–उप मुख्य शीर्ष –00– लघु शीर्ष 102– सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य – उप शीर्ष –0101– सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में विभिन्न आवंटनादेशो द्वारा आवंटन उपलब्ध कराया गया है।

समीक्षा के क्रम में यह बात प्रकाश में आई है कि बन्दोबस्त कार्यालयों द्वारा आवंटन की माँग तो की जाती है, परन्तु पूर्व में उपलब्ध कराये गए आवंटन के संबंध में व्यय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया जाता है।

अतः उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि पत्र के साथ परिशिष्ट–1 के रूप में संलग्न विहित प्रपत्र में अपना प्रतिवेदन ई–मेल से प्रत्र प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर अपने–अपने कार्यालय से संबंधित वित्तीय वर्ष 2022–23 में अबतक उपलब्ध कराये गए आवंटन, अबतक किया गया व्यय तथा फरवरी 2023 तक की आवंटन अधियाचना मद वार, शीर्ष वार उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में किसी भी परिस्थिति में आवंटन निर्गत नहीं किया जाएगा तथा इसकी जिम्मेवारी संबंधित बन्दोबस्त कार्यालय की होगी।

3. आवंटन अधियाचना प्रेषित करने से पूर्व व्यय का स्पष्ट आकलन करना सुनिश्चित किया जाय। अधिकाय अधियाचना करने पर प्रत्यर्पण की स्थिति में जिम्मेवारी का निर्धारण किया जाएगा।

4. आवंटन अधियाचना बन्दोबस्त पदाधिकारी / समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी / प्रभारी पदाधिकारी के स्तर से ही उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

कृ0पृ0उ0

5. बजट उपलब्धता में कमी को देखते हुए वर्त्तमान आवंटन अधियाचना में बकाया वेतन की राशि शामिल नही किया जाय। बकाया वेतन हेतु कर्मीवार अलग से अधियाचना प्रेषित किया जाय।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

अनुलग्नक :– विहित प्रपत्र परिशिष्ट–1 के रूप में संलग्न।

विश्वासभाजन
Signed by Jai Singh
Date: 15-12-2022 13:49:07
Reason: Approved
(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

प्रतिलिपि :–

1. संबंधित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0 सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को विभागीय वेबवाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

परिशिष्ट–1

भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय नियंत्रणाधीन विभिन्न बन्दोबस्त कार्यालयों/प्रशिक्षण संस्थान के लिए प्राप्त आवंटन आय–व्यय एवं अधियाचना संबंधि प्रपत्र।

बन्दोबस्त कार्यालय/जिला का नाम :–

क्र0सं0	विषय शीर्ष	विषय शीर्ष का ब्यौरा	फरवरी 2023 तक के लिए कुल अधियाचना (बकाया वेतन को छोड़कर)	आवंटन निर्गत पत्रांक 1142 दिनांक 13.05.2022	आवंटन निर्गत पत्रांक 25110 दिनांक 04.06.2022	आवंटन निर्गत पत्रांक 25116 दिनांक 04.06.2022	आवंटन निर्गत पत्रांक 25374 दिनांक 07.06.2022	आवंटन निर्गत पत्रांक 28468 दिनांक 19.07.2022	आवंटन निर्गत पत्रांक 29513 दिनांक 02.08.2022	आवंटन निर्गत पत्रांक 29974 दिनांक 08.08.2022	आवंटन निर्गत पत्रांक 30987 दिनांक 25.08.2022	आवंटन निर्गत पत्रांक 31701 दिनांक 31.08.2022	आवंटन निर्गत पत्रांक 37033 दिनांक 29.11.2022	अबतक प्राप्त कुल आवंटन (5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	अबतक किया गया कुल व्यय	शेष उपलब्ध आवंटन (15–16)	वर्त्तमान अधियाचना (4–17)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	01 01	वेतन																
2	01 03	जीवन यापन भत्ता																
3	01 04	मकान किराया भत्ता																
4	01 05	परिवहन भत्ता																
5	01 06	चिकित्सा भत्ता																
6	01 07	अन्य भत्ता																
7	02 01	मजदुरी																
8	06 01	चिकित्सा प्रतिपूर्ति																
9	11 01	यात्रा व्यय																
10	13 01	कार्यालय व्यय																
11	13 02	वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव																
12	13 03	दुरभाष																
13	13 04	विघुत प्रभार																
14	13 06	वर्दी/पोशाक																
15	13 10	भाड़े की गाड़ी का भुगतान																
16	14 01	किराया महसूल एवं कर																
17	20 03	प्रशिक्षण व्यय																
18	26 01	विज्ञापन एवं प्रकाशन																
19	27 02	अनुरक्षण एवं मरम्मत																
20	28 02	संविदा सेवाएँ																
21	28 04	व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ																
22	52 01	मशीने एवं उपस्कर																
		कुल योग :–																

नोट :– यदि किसी आवंटनादेश संख्या द्वारा संबधित बन्दोबस्त कार्यालय/प्रशिक्षण संस्थान को आवंटन प्राप्त नहीं हुआ हो तो उक्त आवंटनादेश संख्या के स्तम्भ में शून्य प्रतिवेदित किया जाय।